

20/5/17

वकील फटीकेन उपर/ बहस उमम पड़तपयान के अधिकारतागत पर मतत क्रिया शमा तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल जमाबंदी संवत् 2069-72 के अहडुना क्रियाद्वि आशनीमत्र ख.नं. 805 खका 14 विल्का काडीखं प्रखिवाडी लं. 1 की संयुक्त सखतेदारी की भूमि है जिसमें प्राचीन एवं असाणीसं. 1 का जमाबंदी में 1/2-1/2 हिस्सा दर्ज है। कोई भी सखतेदारी सखतेदारी की भूमि पर बिना बरवाय दरामे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि सखतेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर सभी सखतेदारी का अपने-2 हिस्से अहडुना समान अधिकार होता है।

20/5/17

वकील फटीकेन उपर/ बहस उमम पड़तपयान के अधिकारतागत पर मतत क्रिया शमा तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल जमाबंदी संवत् 2069-72 के अहडुना क्रियाद्वि आशनीमत्र ख.नं. 805 खका 14 विल्का काडीखं प्रखिवाडी लं. 1 की संयुक्त सखतेदारी की भूमि है जिसमें प्राचीन एवं असाणीसं. 1 का जमाबंदी में 1/2-1/2 हिस्सा दर्ज है। कोई भी सखतेदारी सखतेदारी की भूमि पर बिना बरवाय दरामे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि सखतेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर सभी सखतेदारी का अपने-2 हिस्से अहडुना समान अधिकार होता है।

20/6/17

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित नहीं है। पत्रावली पूर्वानुसार दि० 20/5/17 को पेश हो।

20/6/17

वकील फटीकेन उपर/ बहस उमम पड़तपयान के अधिकारतागत पर मतत क्रिया शमा तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल जमाबंदी संवत् 2069-72 के अहडुना क्रियाद्वि आशनीमत्र ख.नं. 805 खका 14 विल्का काडीखं प्रखिवाडी लं. 1 की संयुक्त सखतेदारी की भूमि है जिसमें प्राचीन एवं असाणीसं. 1 का जमाबंदी में 1/2-1/2 हिस्सा दर्ज है। कोई भी सखतेदारी सखतेदारी की भूमि पर बिना बरवाय दरामे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि सखतेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर सभी सखतेदारी का अपने-2 हिस्से अहडुना समान अधिकार होता है।

12/10/17

वकील फटीकेन उपर/ बहस उमम पड़तपयान के अधिकारतागत पर मतत क्रिया शमा तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल जमाबंदी संवत् 2069-72 के अहडुना क्रियाद्वि आशनीमत्र ख.नं. 805 खका 14 विल्का काडीखं प्रखिवाडी लं. 1 की संयुक्त सखतेदारी की भूमि है जिसमें प्राचीन एवं असाणीसं. 1 का जमाबंदी में 1/2-1/2 हिस्सा दर्ज है। कोई भी सखतेदारी सखतेदारी की भूमि पर बिना बरवाय दरामे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि सखतेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर सभी सखतेदारी का अपने-2 हिस्से अहडुना समान अधिकार होता है।

अतः पत्रावली पत्र प्राचीन अस्वाची निषेधाज्ञा लकीकार क्रिया जोका इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम शोडिश दिनांक 24/1/14 को हाफिलला वाउ कन्फर्म किया जाता है। निर्वाचन लं. इजलास नुम्बर शमा/पत्रावली फैसले इजलास शोका शामिल दोनो संख्या नम्बर लं कठोर।